

प्रथम सूचना रिपोर्ट
दं0प्र0सं0 की धारा 154 के अन्तर्गत

1. जिला पंचकूला थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला वर्ष 2016 प्र0सु0रि0स0 06 दिनांक 15.12.2016
2. धारा 7 भा0द0स0 थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला
3. (क) अपराध की घटना : 15.12.2016
(ख) थाने में सूचना प्राप्त होने की तारीख : दिनांक 15.12.2016समय 10:35 पी0एम0
(ग) रोजनामचा रिपोर्ट क्रम संख्या : 05
4. सूचना का प्रकार : लिखित
5. घटनास्थल: (क) दूरी लगभग उत्तर पूर्व दिशा 4 कि0मी0 जिला पंचकूला।
6. शिकायतकर्ता/सूचनादाता
नाम पीयुष धीमान
पिता का नाम करम चन्द धीमान
राष्ट्रीयता भारतीय
व्यवसाय बिजनस
पता म0न0 237 बी0-3, शिव शक्ति कालौनी पिन्जौर जिला पंचकूला।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूरा विवरण
श्री देवेन्द्र कानूनगो लैन्ड एक्वीजेशन अधिकारी कार्यालय सै0-8, पंचकूला।
लिंग पुरुष
भाषा हिन्दी
8. सूचनादाता द्वारा देशी से सूचना दिये जाने का कारण कोई नहीं।
सेवा में, Inspector, विजीलेंस सैक्टर-17, पंचकूला। श्रीमान जी, निवेदन है कि मैं पीयुष धीमान S/o श्री कर्मचन्द्र धीमान R/O # 237/B-3 शिवशक्ति कालौनी पिन्जौर का रहने वाला हूं। और मेरे पिता कर्मचन्द्र के नाम गांव भोगपूर तहसील कालका में 32 बिसवा जमीन एकवायर हुई थी। जिसका मुआवजा मेरे पिता जी के नाम 9,89,419 रू0 का मुआवजा वर्ष 2010 में कार्यालय लैण्ड एक्वीजेशन ऑफिस द्वारा बनाया गया था। जिस बारे मैंने अपने पिता जी के नाम से मुआवजा की राशी लेने बारे अपनी फाईल पूरी करके कार्यालय लैण्ड एक्वीजेशन ऑफिस पंचकूला में देवेन्द्र कानूनगों को दे दी थी। क्योंकि मेरे पिता जी काफी बुजुर्ग हैं, जो कि चलने-फिरने में असमर्थ हैं, जो इस भूमि का मुआवजा बारे मैं देवेन्द्र कानूनगों से उनके कार्यालय में मिला तो देवेन्द्र कानूनगों ने यह मुआवजा की राशि देने के लिए 10,000 रू0 बतौर रिश्वत मांगे। जिसको मैं यह राशी बतौर रिश्वत देना नहीं चाहता यदि यह राशी नहीं दूंगा तो वह हमारी भूमि मुआवजा की राशी नहीं देगा। मैं देवेन्द्र कानूनगों को 10,000 रू0 रिश्वत की राशी देकर उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। इसके

खिलाफ कार्यवाही की जाए। धन्यवाद हस्ता पीयूष धीमान S/o श्री कर्मचन्द्र धीमान R/O # 237/B-3 शिवशक्ति कालौनी पिन्जौर। मो0 नं0 8222000368 अज थाना :- आज मन निरीक्षक थाना मे हाजिर हूं और पीयूष धीमान पुत्र श्री कर्मचन्द्र वासी शिवशक्ति कालौनी पिन्जौर जिला पंचकूला ने थाना हाजिर आकर एक लिखित दरखास्त मेरे पेश की, जो दरखास्त से सरेदस्त जुर्म जेरेधारा 7 पी0 सी0 एक्ट 1988 का सरजद होना पाया जाता है। जिस पर तहरीर हजा तैयार करके मुकदमा न0 06 दिनांक 15.12.2016 जेरेधारा 7, भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम 1988 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सै0-17, पंचकूला दर्ज रजिस्टर किया जा कर मन निरीक्षक मय EHC रविन्द्र पाल नं0 184/PKL, ASI प्रदीप कुमार नं0 660/PKL, EASI रमेश चन्द्र नं0. 118/PKL, EASI ऋषी पाल नं0 274/AMB, के बासवारी गाडी सरकारी HR03 L 6883 मय मुदई के बराये करने पूरी औपचारीकताएं रेड, रवाना उपायुक्त कार्यालय पंचकूला का होता हूं। रेडिंग किट (तपतीशी बेग) व लैपटोप हमरा लिया गया। हालात अफसरान बाला को सूचित किये गये। इलाका मैजिस्ट्रेट व अफसरान बाला को सूचित करने के लिए स्पैशल रिपोर्ट बदस्त EHC रविन्द्र कुमार नं0 289/AMB के द्वारा अलग से भिजवाई गई। SD. हिन्दी सुरेश कुमार, दिनांक 15.12.2016 निरीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर 17 पंचकूला समय 10:35 AM.

(नि0 सुरेश कुमार 191 एच.ए.पी)
थाना रा0चौ0ब्यूरो, पंचकूला।
दिनांक 15.12.2016.